

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा - पत्र

उन्वान

मोहनलाल

बनाम

नंदकुंवर

किस्म मुकद्दमा

223

मि. नं.

2021/61

सन्

अभिभाषक अपीलान्त

श्री-चंद्रप्रकाश स्वोडेलवाल

अभिभाषक रेस्पोंडेंट

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 04-07-22    | <p>पत्रावली पेश हुई। सीमान पीठासीन अधिकारी जजों सज्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-08-22 को पेश हो।</p> <p>रीडर<br/>रीडर<br/>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)</p>   | 22-08-22  |
| 22-08-22    | <p>पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्वारिज/पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29-08-22 को पेश हो।</p> <p>डा० अनुपमा टेलर<br/>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)</p>   | 29-08-22  |
| 29-08-22    | <p>पत्रावली पेश हुई। अतिनाशक अपीलान्त को रोक-रुक कर तीन बार आवाजें लगावाई गईं। फिर भी अपीलान्तगण व अतिनाशक अपीलान्त उपास्वित नहीं हुए। अतिनाशक अपीलान्त द्वारा रेस्पोंडेंटगण की तामील जरिये खजिठ रु० डी. आदिनाक तक नहीं करवाई गई है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में स्वारिज की जाती है। पत्रावली कैसल शमार होकर शमठ बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>डा० अनुपमा टेलर<br/>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p> |   |





8. दीनदयाल पुत्र बदीलाल जाति ब्राह्मण
9. रूकमणी बेवा बदीलाल जाति ब्राह्मण
10. हेमलता पुत्री बदीलाल जाति ब्राह्मण
11. अवन्तिका पुत्री बदीलाल जाति ब्राह्मण  
निवासी रामद्वारा अकलेरा जिला झालावाड
12. श्रद्धा पुत्री पुरुषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी गायत्री मन्दिर के पास झालावाड
13. कमलेश बेवा पुरुषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी गायत्री मन्दिर के पास झालावाड
14. युगल किशोर पुत्र गंगाराम जाति ब्राह्मण निवासी पुरानी जैल के पीछे निर्मल मोन्टेन्सरी स्कूल के पास झालावाड
15. भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत्त झालावाड
16. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड
17. शाखा प्रबन्धक सिन्डीकेट बैंक झालरापाटन जिला झालावाड

— रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा

प्रकरण संख्या 133/40/दावा/16

बउनवान नन्द कुंवर बनाम गंगाराम

अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपीलान्त निम्न निवेदन करता है:-

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.11.16 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 11.02.17 को जारी की गयी थी, रेस्पोंडेन्ट जुगल किशोर द्वारा माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, माननीय न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.10.17 से प्रारम्भिक डिक्री एवं फाईनल डिक्री को निरस्त करते हुये प्रकरण को रिमान्ड किया गया था कि निर्णय के पेशा क्रम 12 के विवेचन अनुसार मृतक मोतीलाल के विधिक वारिसान घोषित